बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

दिनांक.........................

संख्या–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0..................../व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1037 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को छः माह के लिए पुनर्नियोजित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या–11281 दिनांक 01.09.2017 द्वारा उपर्युक्त कार्यरत् पीठासीन पदाधिकारियों की सेवा डेढ़ माह के लिए विस्तारित की गयी।

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–60107 दिनांक 28.08.2017 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उपर्युक्त फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारियों के पदों पर कार्यरत् कुल 50 (पचास) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष पूरा होने तक पुनर्नियोजन की अवधि के विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0..........................पटना–15, दिनांक...................................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

12743

ज्ञापांक–7/स्था0–4–04/2016सा0प्र0 ~~12472~~ पटना–15, दिनांक 5-10-17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को उनके पत्रांक–679 दिनांक 04.09.2017 के प्रसंग में/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–60107 दिनांक 28.08.2017 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

5.10.17
सरकार के अवर सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/NOTIFICATION